संख्या–800/पांच–5–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,** उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त अपर निदेशक**, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,** उत्तर प्रदेश।
4. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक,** जिला महिला/पुरूष/सयुंक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक : 07 अप्रैल, 2020**

विषयः प्रदेश कोविड समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाईयों के संचालन में मण्डलायुक्त एवं मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की भूमिका।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से संबंधित चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–737/पांच–5–2020, दिनांक 27 मार्च, 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कोविड समर्पित एल–1 चिकित्सालयों की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु विस्तृत परिचालन दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त प्रसारित व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बद्ध चिकित्सा इकाईयों जैसे सक्रिय एवं निष्क्रिय संगरोध सहित प्रत्येक कोविड समर्पित एल1 चिकित्सालयों को क्रियाशील करने हेतु गठित दो टीमों की तैनाती के फलस्वरूप 50 कार्मिकों की आवश्यकता आगणित की गयी थी। इन चिकित्सा इकाईयों में मात्र एक भी कोविड रोगी के भर्ती होने की स्थिति में, वहां पर तैनात सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सीमित संसाधनों जैसे पीपी0ई0 किट्स्, एन–95 मास्क इत्यादि के बावजूद पूर्णरूपेण व्यवस्थाएं करनी आवश्यक होती हैं।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में, पूरे प्रदेश में कोविड पॉजिटिव रोगियों के सापेक्ष स्वास्थ्य कर्मियों के जोखिम/एक्पोज़र यथासंभव कम करने एवं सीमित संसाधनों जैसे पीपी0ई0 किट्स्, एन–95 मास्क इत्यादि का यथोचित/विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा मण्डलाधीन जनपदों के कोविड समर्पित एल–1 चिकित्सालयों में भर्ती कोविड पाजिटिव रोगियों की पूलिंग करके उन्हें मण्डल स्तर पर स्थित कोविड पाजिटिव रोगियों को पूलिंग करने का निर्णय लिया गया है।

4– यथासंभव मुख्यालय के जनपद में स्थित एल–1 चिकित्सालय में सर्वप्रथम कोविड पोजिटिव रोगियों को भर्ती किया जाएगा। मण्डल स्तर पर स्थित कोविड समर्पित एल1 चिकित्सालय में कोविड पाजिटिव रोगियों की भर्ती के फलस्वरूप शय्याओं के संतृप्त हो जाने की स्थिति में, अन्य जनपदों में स्थापित कोविड समर्पित एल–1 चिकित्सालयों द्वारा कोविड पाजिटिव रोगियों को भर्ती किया जाना प्रारम्भ किया जायेगा। रोगियों को चिन्हित कोविड समर्पित एल–1 चिकित्सालयों में भर्ती के आदेश संबंधित मण्डलायुक्त के अनुमोदन से अपर मण्डलीय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के द्वारा पारित किए जायेगें। भर्ती के समय कोविड पाजिटिव रोगियों के लक्षण की गम्भीरता के आलोक में भर्ती हेतु उचित स्तर की चिकित्सा इकाई के चयन हेतु विशेष ध्यान रखा जायेगा।

5– उक्त व्यवस्था से श्रमशक्ति (मैनपावर) एवं निष्क्रिय संगरोध इत्यादि की आवश्यकता में भी पर्याप्त कमी आयेगी। मण्डल मुख्यालय पर सामान्यतः बेहतर संसाधन उपलब्ध होते हैं, अतः वहां पर रोगियों का प्रबन्धन समुचित रूप से सुनिश्चित हो सकेगा और इससे अन्य जनपदों के लिए उपचार प्रोटोकाल को समझने में भी मद्द मिलेगी।

उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन हेतु मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा सम्बन्धित मण्डलायुक्त के मार्ग–निर्देशन में निम्नलिखित आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न/पूर्ण करायी जायेगीः

1. किस क्रम में सम्बन्धित मण्डल के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाली समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाईयों में मरीजों को एडमिट किया जायेगा, इसका निर्धारण किया जायेगा।
2. मण्डल के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित क्रम के विषय में संज्ञानित कराया जायेगा। जैसे ही किसी किसी भी जिले की समर्पित एल–1 इकाई में पूर्ण क्षमता में मरीज भर्ती हो जांय, तो अगली चिकित्सा इकाई को भविष्य में आने वाले मरीजों के लिए मण्डल के सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को संसूचित कराया जायेगा।
3. मण्डल के समस्त एल–1 चिकित्सा इकाईयों में भर्ती मरीजों कों बिन्दु संख्या–1 एवं 2 में उल्लिखित क्रमानुसार तत्काल समर्पित एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानान्तरित करा जायेगा।
4. व्याप्त परिस्थितियों का आंकलन करते हुए, अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा मण्डलायुक्त के निर्देशन में मरीजों के अन्तर–जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा भी मरीजों के अन्तर–जनपदीय स्थानान्तरण पर सतर्क दृष्टि रखी जायेगी एवं अपर निदेशकों का मार्ग–दर्शन किया जायेगा।
6. यदि मण्डल के क्षेत्राधिकार में किसी समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाई (उदाहरण इकाई–ए) में उस समय तक कोई भी मरीज भर्ती न हुआ हो एवं मण्डल के किसी अन्य समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाई (उदाहरण इकाई–बी) में दोनों दलों ने अपनी 15 दिनों ड्यूटी की पूर्ण कर ली हो तो ऐसी एल–1 चिकित्सा इकाई की टीमों को जोकि तैनाती के लिए पूर्णरूप से प्रशिक्षित हैं (उदाहरण इकाई–ए), मण्डल की दूसरी चिकित्सा इकाईयों में तैनात किया जा सकता है, जहाँ पर एल–1 इकाईयों में उस समय तक मरीज भर्ती हों और वहाँ के दोनों दल अपनी 15–15 दिनों की ड्यूटी पूर्ण कर चुके हों (उदाहरण इकाई–बी)।

   उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में चिकित्सीय टीमों की अन्तर–जनपदीय तैनाती भी मण्डलायुक्त के मार्ग–निर्देशन में अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा की जायेगी।

7. (1) इस प्रकार से एक समर्पित एल–1 चिकित्सा इकाई के 25 सदस्यीय टीमकी अन्य जिले की एल–1 चिकित्सा इकाई पर तैनाती होने की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, जहाँ से टीम दूसरे जनपद के लिए प्रस्थान कर रही है, यातायात सुविधा उपलब्ध करायेंगें।

   (2) Active Quarantine की सुविधा, खान/पान की सुविधा, जिस जनपद हेतु यह दल प्रस्थान कर रहा है, के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

   (3) 15 दिन की ड्यूटी पूर्ण करने के उपरान्त, जहाँ पर दल द्वारा कार्य किया गया है, के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दल के मूल जनपद के Passive Quarantine केन्द्र तक यातायात की सुविधा टीम को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. मण्डलायुक्त के द्वारा मण्डल के जनपदों के जिलाधिकारियों से परामर्श कर आवश्यकतानुसार स्थानीय संशोधन किया जा सकेगा।

उक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में व्याप्त कोरोना वायरस के प्रकोप एवं उसके रोकथाम तथा उपचार के संबंध में उक्त निर्देशों का अपने–अपने स्तर पर शत्प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

7.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–800 (1)/पांच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

07/4/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।